

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212 ]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 अप्रैल 2026 — वैशाख 10, शक 1948

### श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 अप्रैल 2026

### सूचना

क्रमांक File No.:RULE-8/65/2026-LABOUR— छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क. 21 सन् 2018) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में संशोधन का निम्नलिखित और प्रारूप बनाना प्रस्तावित करती है और उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा। [chaturpost.com](http://chaturpost.com)

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

### संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“4. श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण पत्र.— (1) श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र, नियोजक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों एवं ई-चालान के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क की प्राप्ति पर, राजस्व प्राप्ति शीर्ष: 0203 श्रम और रोजगार (800) राजस्व एवं अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत, प्रारूप-2 में वेबपोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के अंदर जारी किया जाएगा। [chaturpost.com](http://chaturpost.com)

(2) वेबपोर्टल के माध्यम से जारी श्रम पहचान संख्या के संबंध में, दुकान एवं स्थापनाओं की पंजी, ऑनलाईन श्रम विभाग के पोर्टल पर, फैंसिलिटेटर कार्यालय द्वारा प्रारूप-3 में संधारित की जाएगी।

(3) इस नियम के अधीन ऑनलाईन जारी श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र, अधिनियम एवं नियमों के अधीन वैध माना जाएगा।

(4) यदि नियोजक द्वारा आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी/तथ्य/दस्तावेज मिथ्या, त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक पाई जाती है, तो नियोजक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना के नियोजकों का यह दायित्व होगा कि दुकान एवं स्थापना के सहजदृश्य स्थान पर दुकान एवं स्थापना के नाम के अतिरिक्त पंजीयन प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेगा, जो सुलभ पठनीय होना चाहिये।”

[chaturpost.com](http://chaturpost.com)

2. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“5. श्रम पहचान संख्या के पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन/परिवर्तन की सूचना.— (1) दुकान एवं स्थापना के नियोजक द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में नियोजक/भागीदार का नाम एवं पता, कर्मकारों की संख्या, दुकान एवं स्थापना का पता, कार्य का स्वरूप इत्यादि में संशोधन/परिवर्तन के संबंध में आवेदन प्रारूप-4 में संशोधन शुल्क ₹ 100/- के ई-चालान के माध्यम से भुगतान रसीद सहित श्रम विभागीय पोर्टल में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र, नियोजक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों, ई-चालान के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क एवं संशोधित आवेदन की प्राप्ति पर, प्रारूप-2 में वेबपोर्टल के माध्यम से, 24 घंटे के अंदर जारी किया जाएगा।”

3. प्रारूप-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

“प्रारूप-2  
(नियम 4 (1) देखिये)

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017  
दुकान/स्थापना की श्रम पहचान संख्या के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र

1. श्रम पहचान संख्या एवं दिनांक .....
2. दुकान/स्थापना का नाम .....
3. (अ) स्थापना का पूरा पता .....
- (ब) ई-मेल .....
- (स) दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....
4. किए जाने वाले कारोबार, व्यापार या वृत्ति का प्रकार .....
5. स्थापना का स्वरूप – निजी/सार्वजनिक .....
6. दुकान/स्थापना का प्रकार— दुकान/स्थापना/  
निवासयुक्त होटल/रेस्टोरेंट/सिनेमा/  
सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के अन्य स्थान/अन्य .....
7. संगठन का प्रकार –  
प्रोपराईटर फर्म/भागीदार/सीमित दायित्व भागीदारी [chaturpost.com](http://chaturpost.com)  
/कंपनी/ट्रस्ट/को-ऑपरेटिव सोसाईटी/बोर्ड
8. (अ) दुकान/स्थापना के प्रारम्भ की तारीख – .....
- (ब) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(क. 34  
सन् 1948) अथवा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण  
उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के तहत  
पंजीकृत है – .....
9. नियोजक/संचालक का नाम एवं पता .....
10. प्रबंधक/अभिकर्ता का नाम एवं पता .....
11. स्थापना में नियोजक (भागीदार/अंशधारी),

यदि कोई हो, के रूप में हित रखने अन्य व्यक्ति .....

का, यदि कोई हो नाम/पद/पता .....

12. स्थापना का मुख्यालय, यदि कोई हो, का विवरण .....

13. कर्मकारों की संख्या .....

स.क्र. (1)	वर्गीकरण (2)	महिला (3)	पुरुष (4)	योग (5)
1	नियमित/प्रत्यक्ष कर्मचारी			
2	संविदा कर्मचारी			
3	अंशकालिक कर्मचारी			
4	शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के तहत कार्यरत कर्मचारी			
5	अन्य			
	<b>कुल योग</b>			

14. सप्ताहिक अवकाश .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि दुकान/स्थापना, जिसके विवरण ऊपर दिये गये हैं, नियोजक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत जानकारी/घोषणा/सूचना के आधार पर, छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) सहपठित छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 के अधीन दिनांक ...../...../..... को सूचना आधारित श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाणपत्र के आधार पर किसी भी सम्पत्ति, दुकान, स्थापना अथवा नाम के दावे को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

फैसिलिटेटर

यह प्रमाणपत्र, स्वघोषणा के आधार पर सिस्टम-जनरेटेड, सूचना आधारित पंजीयन प्रमाणपत्र है। किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विपुल कुमार गुप्ता, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 29th April 2026

#### NOTICE

File No. RULE-8/65/2026-LABOUR.— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018), is hereby published as required under Section 28 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, by Office of the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Labour, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.